

पत्रांक 8689/1832/यूपीडा/20(वन)
सेवा में,

दिनांक 31/01/2022

प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदायूँ,
शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली
तथा प्रतापगढ़ वन प्रभाग।

विषय:—उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे० आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:—भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मांगी गयी सूचना का पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०६/२९५/२०२१/एफ०सी०/६४३ दिनांक 17.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

क्र०सं०	E.D.S.	कार्यवाही की स्थिति
1.	As per Part II area of PF is coming as 30.6453 ha while as per details provided in the proposal it is 30.8224.	पार्ट-2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संरक्षित वन का क्षेत्रफल 30.8224 हे० है, जो कि प्रस्ताव में दर्शित क्षेत्रफल के समान है।
2.	Tree felling is Amroha and Pratapgarh district is mismatching with details of Part-II uploaded and the details provided in proposal.	यह बिन्दु प्रयोक्ता एजेन्सी (यूपीडा) से सम्बन्धित नहीं है।
3.	An abstract of tree felling in all the districts needs to be provided.	यह बिन्दु प्रयोक्ता एजेन्सी (यूपीडा) से सम्बन्धित नहीं है।
4.	No objection certificate of concerned departments (Irrigation and Railways) needs to be submitted.	सिंचाई विभाग की एन०ओ०सी प्राप्त हो गयी है, जिसे पार्ट-1 के अतिरिक्त अभिलेखों में अपलोड किया जा रहा है। रेलवे विभाग की एन०ओ०सी० के लिए आवेदन किया गया है, जो प्राप्त होते ही उपलब्ध करायी जायेगी। यूपीडा की तरफ से उनको उपलब्ध कराने की अण्डर टेकिंग पूर्व में दी


(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

		जा चुकी है, जो परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 के अतिरिक्त अभिलेखों में अपलोड है।
5.	Revised NPV calculation as per order dated 06-01-2022 needs to be submitted	यह बिन्दु प्रयोक्ता एजेन्सी (यूपीडा) से सम्बन्धित नहीं है।
6.	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित की जा रही है। इसके आर0ओ0डब्लू0 क्षेत्र में प्लान्टेशन योग्य लगभग 1653.70 हे0 भूमि उपलब्ध है, जिसपर पौध रोपण कार्य कराया जायेगा। यह कार्य MoRTH/IRC-21 गाईड लाईन एवं सम्बन्धित वन प्रभाग की कार्ययोजना में मार्ग वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित तकनीकी विशिष्टताओं (Technical Specifications) एवं क्षेत्रीय प्रजातियों के अनुरूप होगा। Plantation scheme परिवेश के पार्ट-1 में अपलोड की जा रही है।
7.	As per part-II of the proposal, under Social forestry Division Allahabad and Social Forestry Division Bulandshahar. It is mentioned at column no.10. "Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project: NIL"	उपरोक्त के सम्बन्ध में डी0एफ0ओ0 प्रयागराज एवं बुलन्दशहर के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में कोई भी वन भूमि न आने का प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 के अतिरिक्त डाक्यूमेन्ट्स में अपलोड किया गया है।
8	CA scheme and site suitable certificate for CA in DDFL has to be provided.	नोडल अधिकारी, वन विभाग के द्वारा CA के लिये DDFL भूमि चित्रकूट वन प्रभाग में आवंटित की गयी है। डी0एफ0ओ0 चित्रकूट के द्वारा दिया गया भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं वृक्षारोपण योजना को डी0एफ0ओ0, उन्नाव वन प्रभाग (नोडल अधिकारी) के द्वारा परिवेश पोर्टल के पार्ट-2 में बिन्दु-13 पर डी0एफ0ओ0, चित्रकूट वन प्रभाग द्वारा प्रेषित डिग्रेडेड एरिया सी0ए0 स्कीम, क्षेत्रफल 62.00 हे0, कुल धनराशि रू0 37204600.00 को अपलोड किया गया है।
9	Why RF cannot be avoided, proper justification needs to be provided.	उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् प्रत्येक राजस्व-ग्रामों में कुछ भूमि ग्राम समाज को एवं कुछ भूमि वन भूमि के रूप में आवंटित की गयी थी, जिसे कालान्तर में सरकार ने आरक्षित वन के रूप में नोटीफाई किया। इस प्रकार अधिसंख्य ग्रामों में यत्र-तत्र छोटे-बड़े टुकड़ों में वन भूमि आ जाती है। गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में इन्ही ग्रामों में आ रही वन भूमि प्रभावित हो रही है, जो कि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।
10	As per the kml File the proposed area for diversion is 50.29 ha., but as per the proposal diversion area is 121.4716 ha., mismatching of the forest area, needs clarification/rectification.	kml File का मिलान करते हुए प्रभावित वन क्षेत्र 121.4716 हे0 का सुधार कर लिया गया है।


 (अरुण कुमार राय)
 डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
 गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
 यूपीडा, लखनऊ

11	Kml file of the complete route proposed for diversion (Forest area as well as Non Forest area) needs be submitted.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में जिन 9 वन प्रभागों की वन भूमि प्रभावित है के वन क्षेत्रों एवं गैर वन क्षेत्रों की kml File परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। जिन वन प्रभागों/जनपदों में वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है वहाँ की केवल गैर वन भूमि (NFL) की kml file को अपलोड करने का प्राविधान परिवेश पोर्टल पर नहीं है। अतः उसकी kml file की सी0डी0 उपलब्ध करायी जा रही है।
12	kml file of alternate routes needs to be submitted.	परिवेश पोर्टल पर alternate routes की kml file को अपलोड करने का प्राविधान नहीं है। अतः उसकी kml file की सी0डी0 उपलब्ध करायी जा रही है।
13	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 94.78 ha., which is less than the actual required CA land area.	परियोजना से प्रभावित आरक्षित वन के सापेक्ष यूपीडा के द्वारा 94.3289 हे0 NFL वन विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका GIS-DSS analysis का मिलान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 62 हे0 DDFL चित्रकूट वन प्रभाग में नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा सी0ए0 हेतु आवंटित की गयी है। GIS-DSS analysis का मिलान APCCF (IT) उ0प्र0 के द्वारा अपने पत्र संख्या 304/12-42-2(जी0आई0एस0) दिनांक 02.12.2021 से किया गया है, जिसके अनुसार सकल क्षेत्रफल 90.1528 हे0 में से 71.14 हे0 शुद्ध क्षेत्र जिसका घनत्व 0.4 से कम है सी0ए0 हेतु उपलब्ध है। APCCF (IT) उ0प्र0 का पत्र परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 में अपलोड किया जा रहा है। इस प्रकार प्रभावित वन क्षेत्र 121.4716 हे0 के स्थान पर 156.3289 हे0 शुद्ध सी0ए0 भूमि जिसका घनत्व 0.4 से कम है, उपलब्ध है।
14	As per the Geo-referenced map of the proposed CA land, GPS "point id" is not mentioned in the Haripur Village and Purthiyawan village. This needs rectifications.	GPS "point id" के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। हरीपुर एवं पुरथियावां ग्रामों के Geo-referenced map में GPS id को अंकित करते हुए पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
15	As per the kml file some CA land polygons have been found in scattered forms and also not contiguous to the forest area. There are 44 patches proposed CA which are of area of area less than 1 ha. Patches need to be in consolidated form.	यूपीडा के द्वारा 4 जनपदों के 18 ग्रामों में उपलब्ध कुल 90.6492 हे0 आरक्षित वन के स्थान पर मात्र 12 ग्रामों में 94.3309 हे0 गैर वन भूमि (NFL) वन विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है। उदाहरण के लिए रायबरेली वन प्रभाग के 4 ग्रामों में स्थित 23.5520 हे0 RF के स्थान पर 1 ही ग्राम में 27.2310 हे0 NFL उपलब्ध कराया जा रहा है। सम्बन्धित एस.डी.एम एवं डी.एफ.ओ. के द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षा एवं प्रबन्धन की दृष्टि से NFL का उपयुक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही उक्त गैर वन भूमि (NFL) यूपीडा के द्वारा प्राप्त कर राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा दी गयी है, जिसकी खतौनियां व अभिलेख परिवेश पोर्टल पर भी अपलोड किये गये हैं।
16	Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be	CA land का Geo-referenced cadastral map उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको कि परिवेश


 (अरुण कुमार राय)
 डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
 गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
 यूपीडा, लखनऊ

	submitted.	पोर्टल के पार्ट-1 में अपलोड किया जा रहा है।
17	The proposed CA land patch of Unnao district (Village-Katholi) is partially overlapped with the area proposed for diversion, this needs rectification.	जनपद-उन्नाव के ग्राम-कैथोली के CA land की के0एम0एल0 फाईल का सुधार कर लिया गया है।
18	Component wise breakup of land required for construction of bridges, underpass, public utility center, toll plaza, Covers over River/ Canals/ Nalas, Pulia, Flyover & Interchanges etc. needs to be provided.	यह सूचना परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 के अतिरिक्त अभिलेख में अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय



(अरुण कुमार राय)

अधिकृत अधिकारी

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक

विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ